न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या– 03/2025
जी.सी.एम.एस– 2025/354

प्रार्थी :–

गोविंदकरण पुत्र श्री धनकरण उम्र 63 वर्ष जाति राजपूत निवासी भगवतनगर, ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सोनाराम पुत्र श्री केसाराम जाति पटेल निवासी ग्राम झंवर, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
2. मोहनराम पुत्र श्री पूनाराम जाति पटेल, निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, लुणी, जिला जोधपुर।
4. उप तहसीलदार, झंवर, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
5. ग्राम पंचायत झंवर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत झंवर, तहसील लुणी, जिला जोधपुर।
6. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन) नियम

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी स्वयं मय अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित (अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से)
3. अप्रार्थी सं. 5, 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक 23.07.2025**

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रार्थी गोविंदकरण पुत्र श्री धनकरण जाति राजपूत निवासी भगवत नगर, झंवर, तहसील झंवर, जिला जोधपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम झंवर में स्थित आराजी खरारा सं. 1803 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा गै.मु. गोचर है, जिसका इन्द्राज ग्राम झंवर की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक में अंकित है। उक्त गोचर भूमि में से 02 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सोनाराम के नाम नामांतरकरण सं. 982 के जरिये बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज की है। इसी प्रकार ग्राम झंवर का खसरा सं. 1763 रकबा 149–05 बीघा मिसल बंदोस्त संवत् 2011 से 2030 में गैर मुमकिन आगोर दर्ज है, जिसमें से 05 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सोनाराम के नाम नामांतरकरण सं. 982 से बिना किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के दर्ज की ग़ई है।

इसी प्रकार नामांतरकरण सं. 850 से ख.नं. 1763 किस्म गैर मुमकिन आगोर में से 10 बिस्वा भूमि सोनाराम पुत्र केसाराम के नाम बाडा के रूप में दर्ज की है तथा इसी खसरा नं. 1763 में से 10 बिस्वा भूमि अप्रार्थी मोहनराम के नाम गै. मु. बाडा के रूप में इसी नामांतरकरण से बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज की है।

इसी प्रकार नामांतरकरण सं. 983 से ख.नं. 1763 में से 10 बिस्वा भूमि गजरी पत्नी सोनाराम के नाम गै.मु. बाडा बिना सक्षम आदेश के दर्ज की है। ख.नं. 1763 की भूमि गैर मुमकिन आगौर की भूमि है तथा इसी खसरा की भूमि आगोर होने से केचमेंट एरिया का भाग है। ख.नं. 1803 की भूमि गोचर भूमि है तथा ख.नं. 1763 की भूमि गै.मु. आगोर है, जिसे अप्रार्थी सोनाराम, मोहनराम व गजरी पत्नी सोनाराम को बिना किसी सक्षम आदेश के आंवटन किया जाकर नामांतरकरण स्वीकृत किये है तथा आवंटन आदेश की आड में जन उपयोगी भूमि पर अतिक्रमण कर उसका उपयोग–उपभोग कर जन उपयोग में बाधा उत्पन्न की है तथा अतिक्रमण कर सार्वजनिक भूमि का निजी उपयोग कर रहे है। अतः आगोर व गोचर भूमि पर बिना आदेश दर्ज नामांतरकरण सं. 850, 982 व 983 को शून्य घोषित कर भूमि पुनः रकबा राज दर्ज रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम झंवर की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक खाता सं. 303 में ख.नं. 1763 रकबा 149–05 बीघा किस्म आगोर, ख.नं. 1803 रकबा 2–16 बीघा किस्म गै.मु. गोचर पेश की तथा ग्राम झंवर का नामांतरकरण सं. 850, 982 व 983 की सूचना का अधिकार के तहत प्रमाणित प्रतियां पेश की। इसी प्रकार ग्राम झवंर की जमाबंदी संवत् 2070–2073 खाता सं. 469 ख.नं. 2119/1803 गै.मु. गोचर,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामांतरकरण सं. 2315 ख.नं. 1763 गै.मु. आगोर, ख.नं. 1803 गोचर, खतौनी वंदोवस्त संवत् 2042–2045 खाता सं. 512 ख.नं. 1803 गै.मु. गोचर, 1763 आगोर पेश की। जमाबंदी सवत् 2046–2049 खाता सं. 833, खसरा सं. 1803 गोचर, खसरा नं. 1763 आगोर पेश की। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ निर्माणरत भवन के फोटोग्राफ्स व नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति पेश की है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 एवं नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया।

4. अप्रार्थी सोनाराम व मोहनराम की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित वगैरा ने दिनांक 25.02.2022 को वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत की ओर से अधिवक्ता श्री उर्जाराम पटेल ने वकालतनामा पेश किया। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश राठौड ने वकालतनामा पेश किया। अन्य अप्रार्थीगण पर जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए, परंतु वे अनुपस्थित रहे।

5. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 के तहत अप्रार्थी गजरी का नाम फौत होने के कारण डिलीट करने बाबत पेश किया, जिसे दिनांक 23.11.2022 को स्वीकार कर गजरी (अप्रार्थी) का नाम डिलीट किया गया।

6. अप्रार्थीगण सोनाराम, मोहनराम एवं ग्राम पंचायत, झंवर जरिये सरपंच को जवाब पेश करने हेतु दिनांक 21.12.2022, 04.04.2023, 17.07.2023, 23.08.2023, 06.03.2024, 03.06.2024, 10.06.2024, 05.03.2025, 07.03.2025, 10.03.2025, 02.04.2025, 21.04.2025, 28.04.2025, 19.05.2025, 27.05.2025 को मौके दिये गये। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2024 को लिखित बहस पेश की गई, जिसकी प्रति भी अप्रार्थी सोनाराम व मोहनराम के अधिवक्ता को दिनांक 08.05.2025 को मांगने पर उपलब्ध कराई गई परंतु पर्याप्त कई अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद भी अप्रार्थी सोनाराम व मोहनराम की ओर से न तो लिखित जवाब पेश किया है तथा न ही अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज पेश किये है। अप्रार्थीगण सोनाराम व मोहनराम की ओर से अधिवक्ता श्री मोती सिंह राजपुरोहित ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के विरूद्ध प्रस्तुत किया है तथा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं अंतर्गत धारा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) अधिनियम को प्रस्तुत करने का अधिकार किसी प्रार्थी को नहीं होकर तहसीलदार को अधिकार निहित है। उपरोक्त वर्णित नामांतरकरण जिस आदेश के आधार पर दर्ज किये गये है उस आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा कोई अपील व निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही सनद के आदेश को इस रेफरेंस प्रार्थना पत्र के जरिये चुनौती दी गई हैं। नामांतरकरण के विरूद्ध धारा 75 के तहत अपील पेश करने का उपचार प्रार्थी के पास उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रस्तुत किये जाने का कोई आधार नहीं है। उक्त तथ्यों से परे होकर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जावे।

7. प्रार्थी श्री गोविंदकरण राठौड ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रकरण में सम्मिलित ख.नं. 1803 की भूमि गोचर तथा ख.नं. 1763 की भूमि गै.मु. आगोर, संवत् 2011 की मिसल बंदोबस्त अनुसार रिकॉर्ड में लगातार दर्ज है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों अनुसार गोचर व आगोर की भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता।

आगोर की भूमि पर नायब तहसीलदार ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के, अपने स्तर से नियम विरूद्ध खातेदारी दी है। गोचर व आगोर की भूमि, जो जन उपयोगी भूमि है, उस पर निर्माण कर अप्रार्थीगण निजी उपयोग में ले रहे है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिनांक 15.08.1947 की स्थिति बहाल करने के आदेश सरकार को दिये है, जिसमें जनहित याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 पारित किया है। इसी प्रकार पूर्व में एडीएम, प्रथम, जोधपुर ने रेफरेन्स प्रकरण सं. 01/2014 व 02/2014 अनवान नैनाराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में निर्णय दिनांक 10.09.2015, रेफरेन्स प्रकरण सं. 03/2014 अनवान राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा देवी व अन्य में निर्णय दिनांक 09.09.2015 तथा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रकरण सं. एलआर/7350/2015/जोधपुर अनवान नैनाराम बनाम सरकार व अन्य के निर्णय दिनांक 06.03.2018 के अनुसार हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन कर उस पर मनन किया। रिकॉर्ड से तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार पाई गई–

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

a) ग्राम झंवर का खसरा सं. 1803 रकबा 2–16 बीघा की भूमि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक में खाता सं. 303 पर गैर मुमकिन गोचर भूमि दर्ज है तथा यही इन्द्राज बाद की जमाबंदियों में भी दर्ज है।

b) इसी प्रकार ग्राम झंवर का खसरा नंबर 1763 रकबा 149–05 बीघा भूमि भी खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 तक में खाता सं. 303 में गैर मुमकिन आगोर दर्ज है। यही इन्द्राज पश्चात्वर्ती जमाबंदियों में लगातार दर्ज होता रहा है।

c) ग्राम झंवर का नामांतरकरण सं. 850 के कॉलम 14 में निम्न विवरण है–

नायब तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 19.03.1985 कैम्प धवा के अनुसार अमल दरामद किया गया। व्यक्ति (1) व (2) को प्रति 1000 वर्गगज वास्ते स्वीकृति पेश है। कॉलम सं. 6 में ख.नं. 1763, कॉलम 7 में रकबा 149–05 बीघा तथा कॉलम 8 में गै.मु. आगोर इबारत अंकित है तथा कॉलम 11 में (1) सोनाराम पुत्र केसाराम कौम पीटल व (2) मोहनराम पुत्र पुनाराम कौम पीटल के नाम के आगे 10 बिस्वा–10 बिस्वा गै.मु. बाडा दर्ज किया हुआ है।

d) इसी प्रकार नामांतरकरण सं. 982 ग्राम झंवर, ख.नं. 1763 गै.मु. आगोर में से 5 बिस्वा गै.मु. बाडा के रूप में तथा ख.नं. 1803 गै.मु. गोचर में से 02 बिस्वा भूमि–होटल हेतु सोनाराम पुत्र केशाराम कौम पीटल के नाम दर्ज करने हेतु दिनांक 22.06.1990 को पटवारी ने दर्ज किया है, जिसके कॉलम सं. 14 में इस प्रकार इन्द्राज है–

राजस्व शिविर में श्रीमान् तहसीलदार साहब जोधपुर के आदेश दिनांक 07.11.1977 के अनुसार भरा गया। भू.अ. निरीक्षक, झंवर ने इस प्रकार टिप्पणी की है:– "मजमें आम पूछताछ कर एवं सनद प्रपत्र से व रेकर्ड से मिलान कर जांच की। इसके बाद उप तहसीलदार लुणी ने दिनांक 22.06.1990 को इसे स्वीकार किया है।

e) खसरा सं. 1763 रकबा 147–10 बीघा गै.मु. आगोर व ख.नं. 1803 रकबा 1–08 बीघा गै.मु. गोचर भूमि को नामांतरकरण सं. 2315 दिनांक 11.07.2012 से जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया है।

9. अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई आदेश/सनद/दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे साबित हो कि उनका कब्जा राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्रों अनुसार सरकारी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

भूमियों पर अनाधिकृत रूप से दिनांक 31.12.1970 से पूर्व तक बनाए गए मकानों व बाड़ों के रूप से है।

राजस्व अभिलेखों अनुसार ख.नं. 1763 की भूमि गै.मु. आगोर (केचमेंट एरिया की भूमि) तथा ख.नं. 1803 की भूमि गै.मु. गोचर के रूप में संवत् 2011 से ही दर्ज चली आ रही है, जिसे राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में होने के कारण अन्य प्रयोजनार्थ आवंटित नहीं किया जा सकता तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने समय–समय पर पारित आदेशों से प्रतिबंधित भूमियों पर किये गये आवंटनों को निरस्त करने के आदेश पारित किये है।

10. उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों के इन्द्राजों के आधार पर तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने समर्थन में कोई अभिलेख पेश नहीं करने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम झंवर के नामांतरकरण सं. 850, 982 व 983 पर उप तहसीलदार, लुणी द्वारा पारित आदेश तथा नामांतरकरण सं. 850 में अंकित नायब तहसीलदार, लूणी का आदेश दिनाक 19.03.1985 व नामांतरकरण सं. 982 व 983 में अंकित तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.1977 को निरस्त करने की सिफारिश के साथ मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित किया जाता है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर